भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 866
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

ई-कोर्ट हेतु निधि

866. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट परियोजना हेतु आवंटित बजट के अंतर्गत उप-शीर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधि के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के मध्य निधि के वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना हेतु आवंटित निधि के वितरण का राज्य-वार व्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, देश की भारतीय न्यायपालिका को आईसीटी सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य न्यायालय प्रक्रियाओं में तेजी लाकर मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान करना और न्यायपालिका के साथ-साथ वादियों, वकीलों और अन्य हितधारकों को मामले की स्थिति, आदेश/निर्णय आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी का पारदर्शी रुप से प्रदान करना है। ई-न्यायालय चरण-1 (2011-15) का उद्देश्य न्यायालयों का बुनियादी कम्प्यूटरीकरण और स्थानीय नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था । परियोजना के चरण-2 (2015-23) में 18,735 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने और इन्हें वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) से जोड़ने के अलावा नागरिक-केंद्रित ई-सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 2023 से शुरू होने वाले 4 वर्षों की अवधि के लिए 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 को मंजूरी दी है। चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य विरासत रिकॉर्ड सहित संपूर्ण न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की अधिकतम सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना और सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा केंद्रों से संतृप्त करके ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करना है। ई-न्यायालय चरण-3 के अधीन घटकवार बजट आवंटन **उपाबंध-1** में दिया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों में आबंटित धनराशि के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	संशोधित अनुमान	कुल व्यय

	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)
चरण 2		
2021-22	98.82	98.30
2022-23	0.01*	0.00
चरण 3		
2023-24	825.00	768.25

* ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन निधियां खत्म हो चुकी थी और ई-न्यायालय चरण-3 के लिए डीपीआर ई-कमेटी, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया जा रहा था । इसलिए, बजट अनुमान 2022-23 में केवल एक टोकन राशि आवंटित की गई थी।

(ग) से (घ) : ई-न्यायालय चरण-1 और चरण-2 केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईसीटी विकास के लिए थे । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस परियोजना का हिस्सा नहीं थे। हालाँकि, सभी अधीनस्थ न्यायालयों को संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से ही धन उपलब्ध कराया गया था, क्योंकि वे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कार्यान्वयन एजेंसी हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी और उपयोग किए गए धन का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

*****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय के लिए निधियों से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 866, जिसका उत्तर 26/07/2024 को दिया जाना है, में निर्दिष्ट विवरण । ई-न्यायालय चरण-3 के घटक और वित्तीय विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	योजना घटक	लागत अनुमान [कुल (करोड़ रुपये में)]
1	वाद अभिलेखों की स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और डिजिटल संरक्षण	2038.40
2	क्लाउड अवसंरचना	1205.23
3	मौजूदा न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर	643.66
4	नई स्थापित न्यायालयों में अवसंरचना	426.25
5	वर्चुअल न्यायालय	413.08
6	ई-सेवा केंद्र	394.48
7	कागज रहित न्यायालय	359.20
8	सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	243.52
9	सौर ऊर्जा बैकअप	229.50
10	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप	228.48
11	ई-फाइलिंग	215.97
12	कनेक्टिविटी (प्राथमिक + अतिरेक)	208.72
13	क्षमता निर्माण	208.52
14	क्लास (न्यायालय कक्ष लाइव-श्रृव्य दृश्य विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम)	112.26
15	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इकाई	56.67
16	भविष्य की तकनीकी उन्नति	53.57
17	न्यायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी	33.00
18	दिव्यांग्जनों के अनुकूल आईसीटी सक्षम सुविधाएं	27.54
19	एनएसटीईपी	25.75
20	ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)	23.72
21	ज्ञान प्रबंधन प्रणाली	23.30
22	उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए ई-ऑफिस	21.10
23	अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ एकीकरण	11.78
24	एस3डब्ल्यूएएएस प्लेटफॉर्म	6.35
	कुल	**7210**

उपाबंध-2

ई-न्यायालय के लिए निधियों से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 866, जिसका उत्तर 26/07/2024 को दिया जाना है, में निर्दिष्ट विवरण । उच्च न्यायालय द्वारा जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

		चरण 2				चरण 3	
		2021-22		2022-23#		2023-24	
क्र. सं.	उच्च न्यायालय	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	इलाहाबाद			0	0	95.87	95.87
2	आंध्र प्रदेश			0	0	25.44	25.44
3	बॉम्बे			0	0	69.54	69.54
4	कलकत्ता			0	0	16.73	16.73
5	छत्तीसगढ़			0	0	16.27	16.27
6	दिल्ली			0	0	17.89	17.89
7	गौहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	1.26	1.18	0	0	2.03	2.03
8	गौहाटी (असम)	3.49	3.48	0	0	24.97	24.97
9	गौहाटी (मिजोरम)	0.30	0.25	0	0	3.12	3.12
10	गौहाटी (नागालैंड)	0.84	0.84	0	0	1.79	1.79
11	गुजरात			0	0	27.72	27.72
12	हिमाचल प्रदेश			0	0	6.06	6.06
13	जम्मू-कश्मीर			0	0	6.52	6.52
14	झारखंड			0	0	10.59	10.59
15	कर्नाटक			0	0	32.37	32.37
16	केरल	1.58	1.58	0	0	15.40	15.40
17	मध्य प्रदेश			0	0	22.90	22.90
18	मद्रास			0	0	90.69	90.69
19	मणिपुर	0.76	0.75	0	0	11.12	11.12
20	मेघालय	2.23	1.76	0	0	3.33	3.33
21	उड़ीसा			0	0	6.77	6.77
22	पटना			0	0	32.43	32.43
23	पंजाब और हरियाणा			0	0	14.58	14.58
24	राजस्थान	1.62	1.62	0	0	19.80	19.80
25	सिक्किम	0.77	0.60	0	0	1.71	1.71
26	तेलंगाना			0	0	22.03	22.03
27	त्रिपुरा	0.96	0.87	0	0	0.53	0.53
28	उत्तराखंड			0	0	13.68	13.68
	कुल	**13.81**	**12.92**	**0**	**0**	**611.88**	**611.88**

ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन निधियां समाप्त हो गई थी और ई-न्यायालय चरण-3 के लिए डीपीआर ई-कमेटी, उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया जा रहा था । इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई ।

****